उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं/श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण प[र] ... अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।
अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22.2.16 को पेश हो।

रीडर

22.2.16 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। त.इ.प्रा० पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कहना है कि भूमि ख० नं० $\frac{374}{0.44}$, $\frac{375}{0.13}$, $\frac{376}{0.45}$ ग्राम चूली प्रार्थी की रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीदशुदा भूमि है जिस पर वह काबिज चला आ रहा है। अप्रार्थीगण का इस भूमि से कोई वास्ता नहीं है। वे सायल की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। दि० 30.6.13 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को भूमि काश्त नहीं करने देने की धमकी दी। अत: अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के वकील का कहना है कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत इन्द्राज कर दिए जाने के कारण यह भूमि प्रार्थी से पूर्व के खातेदारों के नाम दर्ज हो गई एवं इसका गलत रूप से फायदा उठाकर प्रार्थी ने भूमि रजिस्ट्री द्वारा खरीद ली। वास्तव में भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है एवं भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किए गए गलत इन्द्राज की दुरूस्ती हेतु अप्रार्थीगण ने इसी न्यायालय में दावा पेश किया हुआ है। अत: प्रार्थी का यह त.इ. प्रा० पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी रजिस्ट्री के जरिए भूमि खरीद के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपना हक जताता है एवं अप्रार्थीगण भू-प्रबन्ध से पूर्व के रेकार्ड के आधार पर भूमि पर अपना हक जता रहे हैं। प्रकरण में वस्तुस्थिति का निर्धारण मूलवाद

नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी हु

...प्र पर
...है कि
...ी

...दा भूमि
...अप्रार्थीगण
...सायल
...। हि०
...मि काश्त
...र्थीगण
...जावे।
...ाहै कि
... कर
... पूर्व के
...का गलत
...रजिस्ट्री
... प्रार्थी
...भाग
...स्ती हेतु
... पेश
... ।

...ली पर
...ा प्रार्थी
...ार पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मे होना है एवं वर्तमान मे भूमि पर कब्जे के स्थिति भी पूर्णतः स्पष्ट नही है। ऐसी स्थिति मे उभयपक्षकारों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण होने तक भूमि ख०नं० $\frac{374}{0.44}$ हे०, $\frac{375}{0.13}$ हे०, $\frac{376}{0.45}$ हे० ग्राम चूली की मौका एवं रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। [signature] उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	